इंदिरा आवास योजना की भूमिका का मूल्यांकन (नैनीताल जनपद के विशेष संदर्भ में)

डा0 रीनू रानी
अस्सिटेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग,
आरती अरोरा
शोध छात्रा , अर्थशास्त्र विभाग
सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय,नैनीताल,उत्तराखंड

उत्तराखंड का गठन 9 नवम्बर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में हुआ । हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड देश का 11वां राज्य बना। जनवरी 2007 में राज्य का नाम उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखंड किया गया। राज्य की राजधानी देहरादून बनायी गयी। राज्य का कुल क्षेत्रफल 53483 वर्ग किलोमीटर है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ी राज्य होने के कारण यंहा का जनसंख्या घनत्व इतना कम है। उत्तराखंड राज्य को दो मण्डलों में विभाजित किया गया है क्रमशः गढ़वाल मण्डल एंव कुमाऊं मण्डल । कुमाऊं मण्डल में छः जिलें – नैनीताल,पिथौरागढ़,बागेश्वर,अल्मोड़ा, चम्पावत तथा ऊधमसिंह नगर है। गढ़वाल मण्डल में सात जिलें – देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग,टिहरी गढ़वाल,उत्तरकाशी तथा चमौली है। राज्य में 78 तहसीलें, 95 विकास खण्ड,670 न्याय पंचायतें तथा 7227 ग्राम पंचायतें है। राज्य में जनसख्या वृद्धि दर 1981-91 में 24.23 प्रतिशत थी जो 1991-2001 में घटकर 19.20 प्रतिशत रह गयी। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 1000 पुरूषों पर केवल 964 महिलायें है। राज्य में महिलायें की स्थिति तराई क्षेत्र में बहुत ही मजबूत तथा पहाड़ी क्षेत्र में दयनीय बनी हुयी है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पुरूष रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुम्बई जैसे महानगरों में चले जाते है तथा उसके बाद घर, बच्चे, बुजुर्ग तथा खेत इन सब जगह का काम केवल महिलायें ही सम्भालती है। राज्य में लोगों की आर्थिक स्थिति राज्य गठन के डेढ़ दशक बाद भी बहुत अच्छी नही है। लोगो का जीवन स्तर निचला है, पहाड़ों पर रोजगार है नही इसके साथ ही जंगली जानवरों का भय भी पहाड़ों पर निरन्तर बना रहता है। इसके विपरीत तराई क्षेत्रों में जीवन फिर भी आसान है। किन्तु युवाओं को रोजगार की समस्या अब भी बनी हुयी है। राज्य के युवा आई.ए.एस, पी.सी.एस जैसी सेवाओं में

परचम लहरा रहें है किन्तु उसके बाद वह वापस अपने गांव की तरफ कभी नही जातें। इस कारण राज्य के ऊपरी क्षेत्रों के अधिकतर गांव खाली होते जा रहें है तथा पलायन उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है।

नैनीताल जिला एक दृष्टि में –

उत्तराखंड के कुमाऊं मण्डल में अपने प्राकृतिक तथा अभूतपूर्व सौन्दर्य के कारण नैनीताल केवल उत्तराखंड ही नही अपितु पूरे भारत में एक हिल स्टेशन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यह कुमाऊं मण्डल का एक जिला है जिसके पूर्व मे चम्पावत, पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल, उत्तर की ओर हिमालय की पहाड़ियां तथा दक्षिण में तराई भू–भाग है। नैनीताल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है। नैनीताल को झीलों का ताल कहा जाता है। यंहा की सबसे प्रमुख तथा नैनीताल शहर की शान कही जाने वाली झील है नैनी झील। शहर के प्रवेश द्वार पर ही यह झील देखकर पर्यटक इसकी खुबसूरती को निहारतें नही थकते है। इसके अलावा सातताल, सूखा ताल,

खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, मालताल, हरीश ताल, लोखमताल आदि ताल मुख्य ताल है। उत्तराखंड के कुमाऊं मण्डल का मुख्यालय नैनीताल में है। नैनीताल राज्य में 8 तहसीलें क्रमशः हल्द्वानी, बेतालघाट, धारी, कालाठुंगी, रामनगर, नैनीताल, लालकुंआ, कौसिया कोतुली है। नैनीताल में कुल 1141 गांव है।

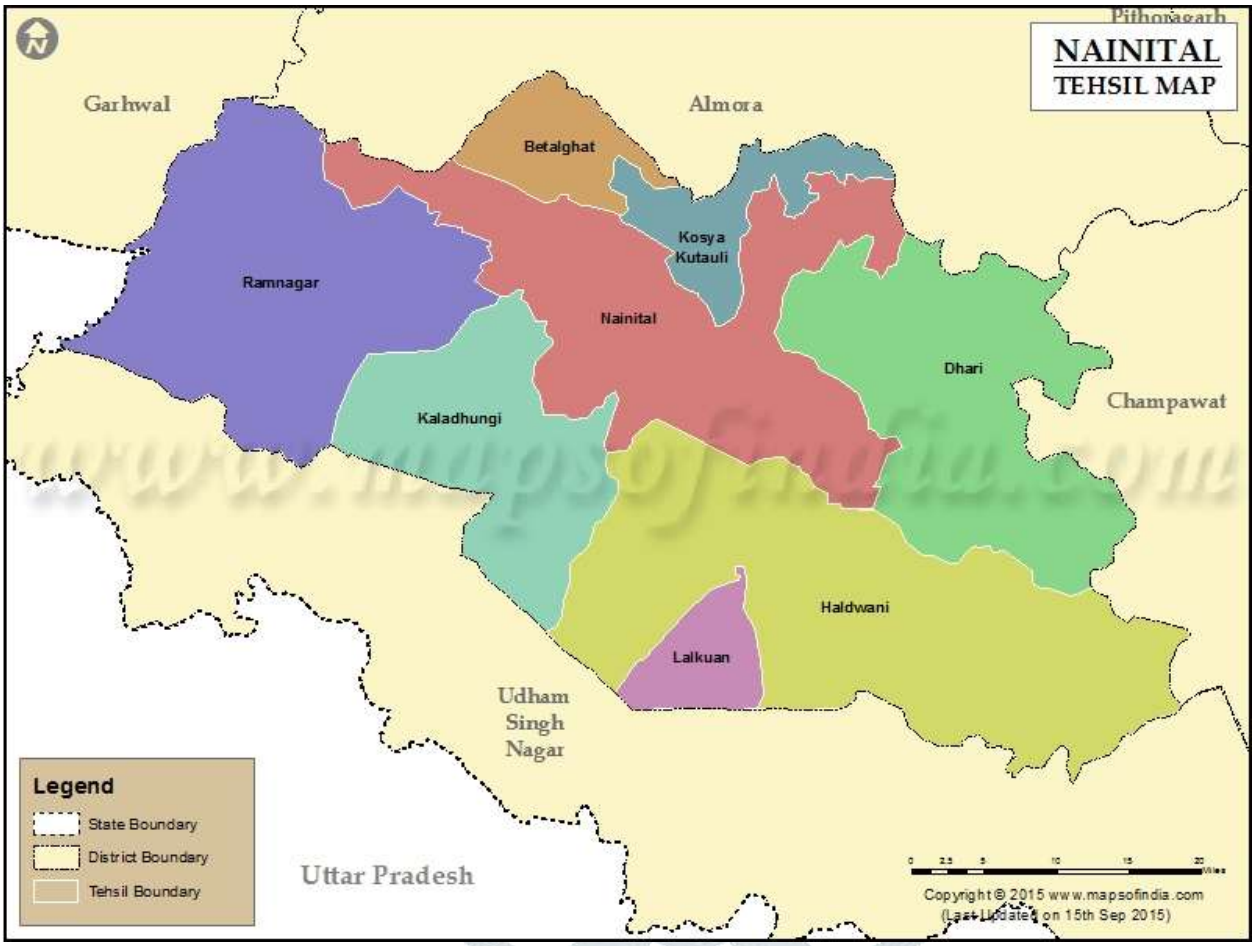

एक दृष्टि में नैनीताल –

		राज्य	जिला
क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)		53483	4251.00
गंवों की संख्या	कुल	16793	1141
	आबाद	15745	1097
	निर्जन	1048	44
कस्बों की संख्या	कानूनी	74	8
	जनगणना	41	3
	कुल	115	11
परिवारों की संख्या	सामान्य	2046109	190430
	संस्थागत	7593	685
	बेघर	3273	268
जनसंख्या	कुल व्यक्ति	10086292	954605

		पुरूष	5137773		493666	
		महिलायें	4948519		460939	
	ग्रामीण	व्यक्ति	7036954		582871	
		पुरूष	3519042		299257	
		महिलायें	3517912		283614	
	शहरी	व्यक्ति	3049338		371734	
		पुरूष	1618731		194409	
		महिलायें	1430607		177325	
शहरी जनसंख्या का प्रतिशत			30.23		38.94	
लिंग अनुपात	कुल		963		934	
	ग्रामीण		1000		948	
	शहरी		884		912	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
साक्षरता		व्यक्ति	6880953	78.82	696500	83.88
		पुरूष	3863708	87.4	385779	90.07
		महिलायें	3017245	70.01	310721	77.29
अनुसूचित जाति		व्यक्ति	1892516	18.76	191206	20.03
		पुरूष	968586	18.85	98824	20.02
		महिलायें	923930	18.67	92382	20.04
अनुसूचित जनजाति		व्यक्ति	291903	2.89	7495	0.79
		पुरूष	148669	2.89	3801	0.77
		महिलायें	143234	2.89	3694	0.80

भूमिका – किसी भी मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक उसका घर है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वंय का घर होना उस व्यक्ति तथा उसके परिवार के लिये सबसे सुखद बात है। आप किसी भी व्यक्ति के आवास को देखकर उसकी भौतिक आवश्यकताओं तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझ सकते है। आपका आवास, उसके आस-पास का वातावरण, शिक्षा, जीवन स्तर, मनोरंजन के साधन इन्ही से किसी व्यक्ति के जीवन स्तर के संकेत मिलते है। इन बुनियादी जरूरतों से वंचित व्यक्ति को समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही समाज में उसकी स्थिति को नकारा जाता है। आवास योजनाऐं सुसंस्कृत मानव समाज की दिशा में एक महत्तवपूर्ण कदम है। हमारे देश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक-तिहाई के आस-पास मानव आबादी आवास सुविधाओं से वंचित है। भारत में अनुमानित लगभग 200 करोड़ परिवार में से 60 से 70000 परिवार पर्याप्त आवास सुविधाओं से वंचित हैं। वे वित्तिय

सुविधाओं के अभाव में एक घर खरीदने में भी समर्थ नही है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग सबसे अधिक आवास की कमी से प्रभावित होता है। इसलिये ग्रामीण आवास की जरूरत को पूरा करने तथा गरीबों के लिये विशेष रूप से आवास की कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा चलाये जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एक महत्तवपूर्ण तथा सराहनीय प्रयास है। आजादी के बाद से भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों के लिये विशेष रूप से सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिये भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम के एक घटक के रूप में 1985-86 में इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ किया गया। भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। वर्ष 1993-94 से इंदिरा आवास योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगो का समावेश किया गया। 1 जनवरी 1996 से इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग कर दिया गया। इस प्रकार इंदिरा आवास योजना देश भर में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियो तथा जिला परिषदों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही है। वर्ष 1995-96 से इंदिरा आवास योजना का लाभ विधवा स्त्रियों, अर्द्धसैनिक बलों की कार्यवाही में मारे गये रक्षाकर्मियों के परिजनों तथा अर्द्धसैनिक बलो के सेवानिवृत्त सदस्यों के लिये बढ़ा दिया गया।

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई) -

भारत में आज भी एक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। और आकड़ों की बात करें तो यह लगभग 60 प्रतिशत की जनसख्या है जिसके सामने रोटी और कपड़ा के बाद मकान एक मुख्य समस्या के रूप में खड़ा है। देश में इसी जनसंख्या के लिये समय-समय पर राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनायें चलायी जाती रही है। इन्हीं में से एक योजना है केन्द्र सरकार की इन्दिरा आवास योजना जो लोगो को उनका अपना घर प्रदान करने से सम्बन्धित योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही यह योजना केन्द्र सरकार की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण योजना है जो 1980 के दशक में

प्रारम्भ हुयी। भारत सरकार द्वारा जून 1985 में RLEGP योजना के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति,जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के घरों के निर्माण के लिये धन का एक हिस्सा अलग से रखा जाने लगा। इसी के परिणामस्वरूप 1985-86 में इंदिरा आवास योजना को RLEGP की एक उपयोजना के रूप में शुरू किया गया। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना के रूप में इस योजना को चलाया गया। जवाहर रोजगार योजना के लिये आवंटित कुल धनराशि का 60% इंदिरा आवास योजना के लिये आवंटित किया गया। धीरे - धीरे इस योजना को विस्तारित किया गया तथा 1993-94 में अनुसूचित जाति के अलावा अन्य लोगो के लिये भी इस योजना के दरवाजे खोल दिये गये। अब लगभग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगो को इस योजना में शामिल किया जाने लगा। तथा इसके लिये आवंटित धन को भी 60% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। 1 जनवरी 1964 से लोगो को घर प्रदान करने के लिये सम्पूर्ण भारत में इंदिरा आवास योजना को एक स्वतत्र योजना के रूप प्रारम्भ किया गया।

इंदिरा आवास योजना के उद्देश्य –

इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवारों को घर के निर्माण में सहायता प्रदान करना है। योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतें,जिला परिषदें,नगर निगम,नगर पंचायतें तथा डी.आर.डी.ए. जैसे स्थानीय निकाय अपनी विशेष भूमिका निभाते है। इन्ही निकायों द्वारा योजना का क्रियान्वयन पूर्ण तथा सक्रिय रूप से किया जाता है। योजना के लिये लाभार्थियों का चयन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, बी.पी.एल. परिवारों, पूर्व सैनिक बल,अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, युद्ध में मारे गये सैनिकों के अश्रित परिवार, विधवा महिलाओं आदि जो योजना की सामान्य शर्तो को पूरा करते हों उनमें से किया जाता है। योजना के लिये धन का आवंटन केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जिसमें 70% हिस्सा केन्द्र का तथा 30% हिस्सा राज्य सरकार का होता है। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्र का योगदान 90% तथा राज्य सरकार का योगदान केवल 10% ही होता है। तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में योजना के कार्यान्वयन के लिये सम्पूर्ण धन केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है। योजना के अर्न्तगत मैदानी इलाकों के बी.पी.एल परिवारों के लिये 70000 रू0 तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिये 75000 रू0 का आवंटन किया जाता है। घरों के लिये भूमि खरीदने के लिये भूमिहीन परिवारों को 20000 रू0 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को सरकारी विभागों तथा एजेंन्सियों द्वारा समय-समय पर घरों के डिजाइन

हेतु तकनीकी सहायता तथा निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है। लाभार्थियों को घरों के निर्माण के साथ-साथ प्रत्येक घर में खाना पकाने के धुंआरहित चूल्हा तथा शौचालय का निर्माण करवान आवश्यक है। शौचालय के लिये लाभार्थी स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत भी वित्तिय सहायता प्राप्त कर सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है –

- नैनीताल जिलें में इंदिरा आवास योजना की भूमिका का मूल्यांकन करना।
- योजना द्वारा घरों के निर्माण के समय लाभार्थियों के समक्ष आने वाली समस्यों पर प्रकाश डालना

शोध प्रविधि –

अध्ययन को अधिक व्यापक, निष्पक्ष तथा प्रभावी बनाने के लिये प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह यादृच्छिक नमूना तकनीक द्वारा किया गया। जिसमें सभी जातियों, बी.पी.एल. परिवारों तथा योजना का लाभ ले रहें सभी लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा द्वितियक आंकड़ों के लिये ग्राम स्तर, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों,राज्य के अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से सूचनाओं का संग्रहण किया गया। आवास से सम्बन्धित आंकड़ों को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 2001 की जनगणना के आंकड़ों तथा अन्य स्त्रोंतों द्वारा एकत्रित किया गया।

नैनीताल जिलें में इंदिरा आवास योजना का प्रदर्शन-

सरकार द्वारा देश के ग्रामीण इलाकों में योजना के विस्तार पर बहुत बल दिया जा रहा है। तथा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिये समय-समय पर सरकारी एजेंन्सियों द्वारा योजना के अन्तर्गत बनायें गये मकानों का निरीक्षण भी किया जाता रहा है। योजना का स्वरूप विस्तारित करने के लिये ग्रामीण आवास के लिये बजटीय परिव्यय 2001-02 में 1991 करोड़ रू0 प्रस्तावित किया गया था जो कि 2012-13 में 11075.00 करोड़ रू0 कर दिया गया जो कि 2001-02 की तुलना में लगभग 5.5 गुना तक बढ़ा

दिया गया है। घरों के निर्माण का लक्ष्य 2001-02 में 12.94 लाख रखा गया था जो कि 2012-13 में 30.10 लाख कर दिया गया।

इंदिरा आवास योजना में नैनीताल जिले की प्रगति रिपोर्ट निम्नलिखित है –

भौतिक वृद्धि विवरण –

) पंजीकृत लाभार्थी तथा वह लाभार्थी जिनके आवास बनने स्वीकृत किये गये –

वित्तिय वर्ष	पंजीकृत लाभार्थी	स्वीकृत आवास
2014-2015	171	171
2015-2016	183	113
2016-2017	343	276

Source- http://rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx

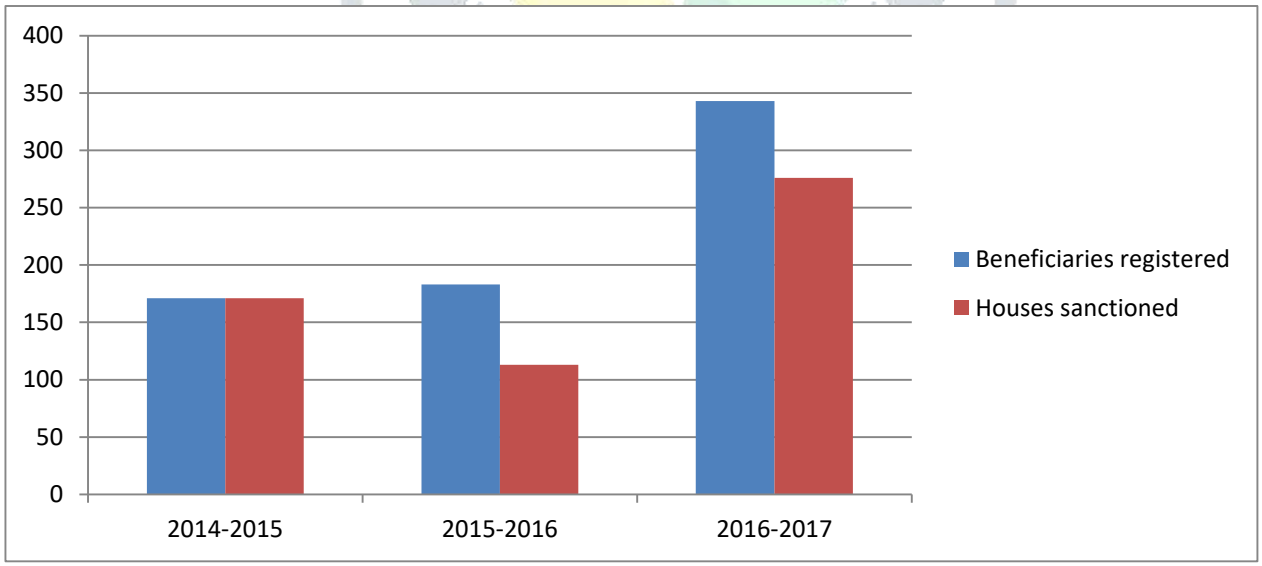

ब) लिंगानुसार स्वीकृत तथा पूर्ण किये गये आवासों का विवरण 2011 - 2016

		स्वीकृत आवास				पूर्ण आवास			
वर्ष	जिलानुसार निश्चित किये गये लक्ष्य	स्वीकृत आवास	महिला	पुरूष	संयुक्त (पति तथा पत्नी)	पूर्ण	महिला	पुरूष	संयुक्त (पति तथा पत्नी)
2011-12	0	968	509	459	0	504	256	248	0
2012-13	2062	372	233	139	0	372	233	139	0
2013-14	67	67	46	21	0	66	45	21	0
2014-15	171	171	117	48	6	167	114	47	6
2015-16	113	113	36	3	74	106	35	3	68
2016-17	403	276	184	32	30	0	0	0	0
Source- http://rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx									

स) जातिनुसार **स्वीकृत तथा पूर्ण किये गये आवासों का विवरण 2011- 2016**

		स्वीकृत आवास						**पूर्ण आवास**					
वर्ष	जिलानुसार निश्चित किये गये लक्ष्य	स्वीकृत आवास	अनुजाति	अनुजनजाति	अल्पसंख्यक	विकलांग	अन्य	पूर्ण आवास	अनुजाति	अनुजनजाति	अल्पसंख्यक	विकलांग	अन्य
2011-12	0	968	13	245	67	0	710	504	0	93	7	0	411
2012-13	2062	372	35	72	15	0	265	372	35	72	15	0	265
2013-14	67	67	1	28	12	0	38	66	1	27	12	0	38
2014-15	171	171	1	60	7	104	110	167	1	58	7	101	108
2015-16	113	113	13	72	11	0	28	106	12	66	11	0	28
2016-17	403	276	27	225	15	0	24	0	0	0	0	0	0
Source- http://rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx													

वित्तिय वृद्धि विवरण –

अ) उच्च स्तर की वित्तिय प्रगति रिपोर्ट

* सभी धनराशि लाखों में

वित्त का प्रयोग

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्पसंख्यक	अन्य	कुल योग
2011-12	49.971	2.64	17.292	143.001	212.904
2012-13	31.86	15.4	6.6	109.345	163.205
2013-14	15.915	1.537	8.32	20.83	46.602
2014-15	37.777	0.75	4.575	67.515	110.617
2015-16	40.027	3.938	6.975	25.56	76.5
2016-17	24.3	6.00	3.3	5.4	39

Source- http://rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx

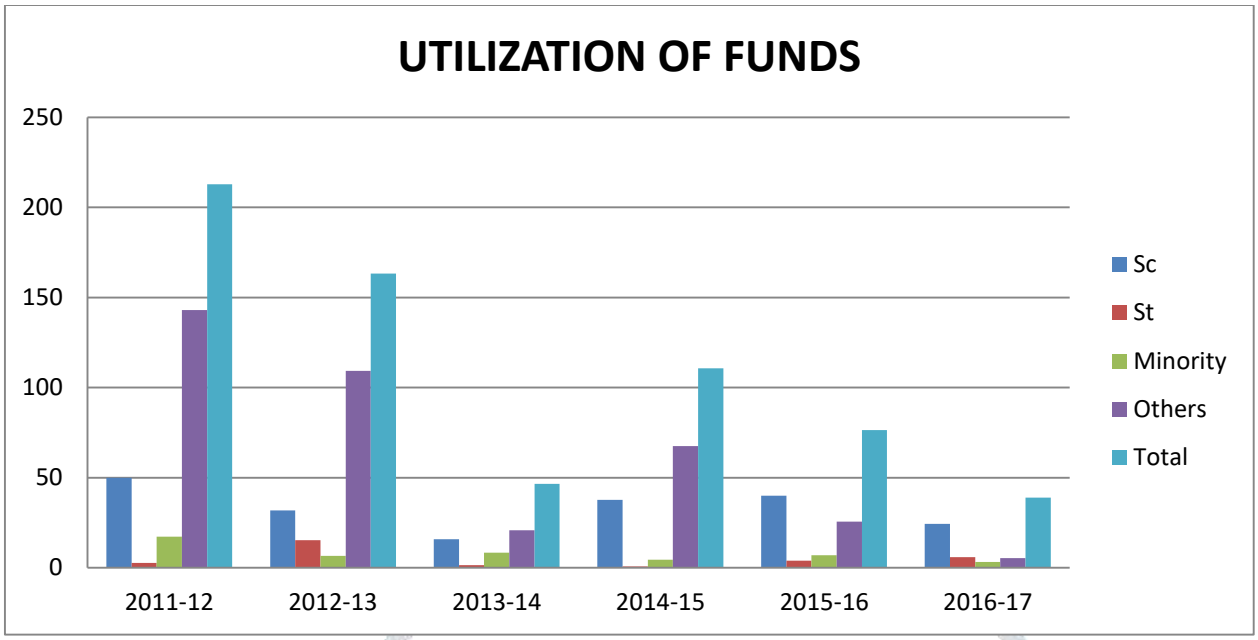

योजना के अर्न्तगत किस्तों के भुगतान का विवरण – योजना के अर्न्तगत सभी राज्यों में धन का भुगतान 3 से 4 किस्तों में किया जाता है। किस्तों के भुगतान का विवरण निम्नलिखित है –

				Number of beneficiary with no installment paid		Only 1st installment paid					Upto 2nd installment paid					Upto 3rd installment paid					Upto 4th installment paid					Compeleted and Inspected		
Year	Target fixed by District	Sanctions Made	No. of Inst.	Difficult	Plain	Installment Value		No. of Beneficiary		Total	Installment Value		No. of Beneficiary		Total	Installment Value		No. of Beneficiary		Total	Installment Value		No. of Beneficiary		Total	No. of Beneficiary		Total
						Difficult	plain	Difficult	plain		Difficult	plain	Difficult	plain		Difficult	plain	Difficult	plain		Difficult	plain	Difficult	plain		Difficult	plain	
2011-2	0	968	0	485	15	0	0	379	9	388	0	0	47	0	47	0	0	31	2	33	0	0	0	0	0	485	19	504
0121	2062	372	2	0	0	44000	41000	2	0	2	45000	40000	369	1	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371	1	372
2013-4	67	67	3	0	0	18750	17500	1	0	1	45000	42000	0	0	0	11250	10500	0	1868	1868	0	0	0	0	0	0	1916	1916
2014-5	171	171	3	0	0	18750	17500	4	0	4	45000	42000	0	0	0	11250	10500	167	0	167	0	0	0	0	0	167	0	167
2015-6	113	113	2	0	0	45000	42000	13	0	13	30000	28000	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	106
2016-	403	27	3	3	0	6000	60000	206	0	20	4000	4000	67	0	67	3000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7		6				0				6	0	0				0	0											

Source- http://rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx

निष्कर्ष तथा सिफारिशें –

भारत में घरों के निर्माण की सम्सया एक लम्बे संघर्ष के बाद भी जारी है। गांवों में घरों की समस्या शहरों की तुलना में और भी विकराल रूप में सामने खड़ी है। योजना द्वारा ग्रामीणों को घरों के निर्माण में सहायता तो बहुत अधिक मिलती है किन्तु योजना के लिये बनाये गये लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान काम भी नहीं है, वैसे भी कागजों पर योजनाओं का निर्माण जितना आसान है वास्तविकता में उसका कार्यान्वयन उतना ही मुश्किल। राज्य में इंदिरा आवास योजना में सबसे अधिक पीछे नैनीताल जिला ही है। सर्वेक्षण की तारीख तक आधे लक्ष्यों को भी प्राप्त नही किया जा सका था। योजना में दिखायी जा रही इतनी पारदर्शिता के बाद योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना अभी भी एक समस्या बना हुआ है। कहीं न कहीं लाभार्थियों के चयन से लेकर मकान के निर्माण तक आपकों को भ्रष्टाचार दिख ही जायेगा। वर्तमान में इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर कुछ कठिन तथा सराहनीय कदम भी उठाये जा रहें है। जैसे योजना का पैसा सीधे चयनित लाभार्थियों के बैंक अकाउण्ट में डालना। योजना में बनायें गयें सम्पूर्ण घरों का विवरण वेब साइट पर सीधे डालना जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी इस तक पंहुच सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

- भारतः योजना आयोग (2013) इंदिरा आवास योजना का मूल्यांकन।
- पंचवर्षीय योंजनायें (2007-12) योजना आयोग भारत सरकार ।
- महापात्र डी.ए. (अक्टूबर 2012) ग्रामीण आवासः ग्रामीण बुनियादें ढांचे का कोर।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थय सर्वेक्षण -3,2005-06 स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- रिजवी एफ.एफ. (वॉल्यूम वी.संख्या 04,2011), उड़ीसा और महाराष्ट्र के चयनित जिलों में इंदिरा आवास योजना का एक अध्ययन गरीब और अंसतुलित ग्रामीण घरों में आवास की स्थिति।
- उत्तराखंड:एक नजर में (2008-09)

पत्रिकाएं -

- योजना
- क्रॉनिकल
- इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटीकल वीकली
- कुरूक्षेत्र

वेबसाइट्स -

- www.rural.nic.in.
- http://gov.ua.nic.in/uaglance/.
- http://nainital.gov.in
- http://www.censusindia.gov.in
- http://iay.nic.in/netiay/more 2.html
- **http://rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx**
- **www.pmayg.nic.in**